

कार्यालय-आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 07 मई, 2025

-:आदेश:-

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली-2014 में दिये गये प्राविधानानुसार विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर राज्य कर विभाग में कार्यरत निम्नलिखित प्रधान सहायकों (वेतन बैंड-2-9300-34800 सादृश्य ग्रेड वेतन 4200 / लेवल-6) को प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैंड-2-9300-34800 सादृश्य ग्रेड वेतन 4600 / लेवल-7) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए अग्रिम आदेशों तक उन्हें उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर बनाये रखा जाता है:-

क्रम संख्या	ज्येष्ठता क्रमांक	कर्मचारी का नाम एवं पिता/पति का नाम श्री/श्रीमती/कु0	वर्तमान तैनाती/ जोन का नाम	जन्मतिथि
1	2	3	4	5
01	2076	राकेश श्रीवास्तव/ राम चन्द्र लाल श्रीवास्तव	प्रयागराज	18-07-1975
02	2077	सुनील कुमार/ अयोध्या प्रसाद	बदायूँ	21-10-1975
03	2078	पवन कुमार सिंह/ दीवान सिंह	मुरादाबाद	02-01-1976
04	2079	मघफूर अली/ फारुक अली	बरेली	07-01-1976
05	2080	केशन लाल सरोज/ सूरज पाल पासी	कानपुर	10-05-1976
06	2081	जितेन्द्र कुमार सिंह/ वीरेन्द्र प्रताप सिंह	कानपुर	27-07-1976
07	2082	कमल कुमार/ कल्याण राय	बरेली	15-08-1976
08	2083	संजीव ठाकुर/ राम जी ठाकुर	कानपुर	26-09-1976

2- उपरोक्त पदोन्नत कर्मिकों की तैनाती विभिन्न जोन / कार्यालयों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष अलग से सुनिश्चित करायी जायेगी ।

3- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उपरोक्त पदोन्नत कर्मचारियों को पदोन्नति आदेश तामील कराते हुए उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर ही प्रशासनिक अधिकारी के पद पर दिनांक 21-05-2025 तक कार्यभार ग्रहण कराये तथा यदि कोई कर्मिक किन्हीं कारणों से पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक न हो, तो उनसे उक्त आशय का पदोन्नति फोरगो प्रार्थना पत्र प्राप्त करके तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें ।

4- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी/सम्भागीय अधिकारी कृपया यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उपर्युक्त पदोन्नत कर्मिकों में से किसी कर्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत आरोप पत्र/नोटिस निर्गत हो, सतर्कता जॉच/ई0ओ0डब्ल्यू0 जॉच चल रही हो तो ऐसे कर्मिक पर यह पदोन्नति आदेश प्रभावी न मानते हुए उन्हें कार्यभार ग्रहण न कराए और अधोहस्ताक्षरी को तत्काल सूचित करें ।

5- उपरोक्त पदोन्नत कर्मिकों में से यदि किसी कर्मिक द्वारा निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः निरस्त समझी जायेगी ।

6- वर्तमान में यदि कोई कर्मचारी स्तम्भ-4 में अंकित स्थान से स्थानान्तरित हो गया हो तो उसकी वर्तमान तैनाती का स्थान तदनुसार संशोधित मानकर सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी अपने स्तर से सम्बन्धित कर्मचारी को इस पदोन्नति आदेश की एक प्रति तामील कराते हुये कार्यभार ग्रहण करायेगे और इसकी सूचना मुख्यालय को उपलब्ध करायेगे ।

(सुनील कुमार वर्मा)

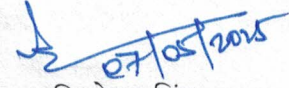
अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक // उक्त ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, प्रयागराज, मुरादाबाद, बरेली, कानपुर ।
- 3- सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 4- संयुक्त आयुक्त (आईटी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु ।
- 5- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी राज्य कर, बदायूँ, प्रयागराज, मुरादाबाद, बरेली एवं कानपुर ।
- 6- उपायुक्त (प्रशासन)/ आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, बदायूँ, प्रयागराज, मुरादाबाद, बरेली एवं कानपुर ।
- 7- पटल प्रभारी स्था-4(क), 4(ख), 4(ग), स्था-6 (सामान्य), चरित्र पंजिका सेल (स्था0अराज0) राज्य कर, मुख्यालय ।
- 8- सम्बन्धित कर्मचारियों को (नाम से) ।


(रवि शेखर सिंह)

संयुक्त आयुक्त (स्था0अराज0) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।